तत्काल/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-6/2016/540/55-पर्या-16-39(पर्या)/2014टी0सी0

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासना

2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0।

3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2016

विषयः- जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-2/2016/234/55-पर्या-16-43(पर्या)/15, दिनांक 25-01-2016 एवं शासनादेश सं0-3/2016/मु0स0-60/55-पर्या-16-43(पर्या)/15, दिनांक 04-02-2016 एवं शासनादेश सं0-5/2016/491/55-पर्या-16-39(पर्या)/14टी0सी0, दिनांक 11-02-2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों के माध्यम से भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-125, दिनांक 15-01-2016 एवं अधिसूचना संख्या-166, दिनांक 20-01-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) के गठन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें अद्यतन प्रगति की सूचना किसी भी जनपद से प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः कृपया तत्काल जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) का गठन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन की वेबसाइट- **soenvups@rediffmail.com** पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in